



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1886]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2015/भाद्र 13, 1937

No. 1886]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2015/BHADRA 13, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2015

**का.आ. 2421(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 584(अ), तारीख 20 फरवरी, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखण्ड राज्य के रांची जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के 113.600 कि.मी. से 198.300 कि.मी. (रांची-रडगांव सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 17 अप्रैल, 2015 को "खबर मंत्र" और "हिन्दुस्तान" दोनों में प्रकाशित किया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए।

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।



			2332	निजी	दोन-III	0.120	485.6333	छोटू महतो
			2339	निजी	दोन-III	0.010	40.4694	घसिया मुण्डा व
			2352	निजी	दोन-III	0.040	161.8778	किनू महतो पिता महतो
			2409	निजी	दोन-III	0.015	60.7042	पुजू स्वांसी
			2411	निजी	दोन-III	0.005	20.2347	गोपन मुण्डा
			2412	निजी	दोन-III	0.010	40.4694	गोपन मुण्डा
			2423	निजी	दोन-III	0.010	40.4694	निमाय दास वो पे0 शंभु दास
			2424	निजी	दोन-III	0.010	40.4694	मंगल दास
			2428	निजी	दोन-III	0.040	161.8778	बिन्देश्वर महतो
			2429	निजी	दोन-III	0.040	161.8778	मंगल दास
			2455	निजी	दोन-III	0.040	161.8778	घसिया मुण्डा व
			2453	निजी	दोन-III	0.050	202.3472	लंगड़ा मुण्डा
					कुल	<b>0.575</b>	<b>2326.9931</b>	
		(3) टीमपुर	298	निजी	दोन-II	0.160	647.5111	बरमास चन्द्र ब नं.-17
			301	निजी	दोन-II	0.110	445.1639	राघो महतो
			304	निजी	दोन-III	0.050	202.3472	मनसर महतो
			306	निजी	दोन-III	0.080	323.7556	लोधा महतो
			308	निजी	दोन-III	0.070	283.2861	धन्नु सिंह महतो
			395	निजी	दोन-III	0.020	80.9389	धन्नु सिंह महतो
			380	निजी	दोन-III	0.020	80.9389	भगत महतो
					<b>Total</b>	<b>0.510</b>	<b>2063.9417</b>	
		(4) रड़गाँव	521	निजी	दोन-I	0.065	263.0514	मोहम्मद अरबा
			523	निजी	दोन-II	0.105	424.9292	बोटनए मांझी व
			524	निजी	दोन-II	0.080	323.7556	डोमा मांझी
			525	निजी	दोन-I	0.005	20.2347	वकास्त
			526	निजी	दोन-I	0.025	101.1736	वकास्त
			527	निजी	दोन-II	0.100	404.6945	भीम हजाम
			528	निजी	परती रैयती	0.015	60.7042	बोटनए मांझी व
			529	निजी	परती रैयती	0.005	20.2347	डोमा मांझी
			533	निजी	दोन-II	0.160	647.5111	शेख मोहम्मद
			534	निजी	दोन-I	0.320	1295.0223	केशव मंडल
			536	निजी	दोन-I	0.045	182.1125	शेख अब्दुल व
			538	निजी	दोन-I	0.105	424.9292	शेख अब्दुल व
			549	निजी	दोन-I	0.050	202.3472	शेख अब्दुल व
			611	निजी	टांड-II	0.005	20.2347	घासू मंडल
			612	निजी	टांड-II	0.060	242.8167	भोजू पुरान वगै
			613	निजी	टांड-II	0.075	303.5208	अजूब पुरान व